राजस्थान सरकार
वित्त (व्यय–2) विभाग

कमांक: FD(Exp-2)/05/TAD(B.A.107)/2021-22 जयपुर,दिनांक :05.06.2021

परिपत्र

विषयः– विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओ की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने बाबत "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" के दिशा–निर्देश एवं प्रकिया।

विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग, के लिए **मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना** वर्ष 2021–22 से प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सामान्य दिशा–निर्देश एवं प्रकिया निम्नानुसार है :–

1. इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, Minority एवं EWS वर्ग के वे छात्र–छात्राए पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय रूपए 8 लाख प्रति वर्ष से कम हो या जिनके माता–पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल–11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों।
2. योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु व्यय की जा सकने वाली राशि, कोचिंग की अवधि एवं छात्र–छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगीः–

कं.	परीक्षा	राशि	अवधि	न्यूनतम योग्यता	पात्र छात्र–छात्राओं की कुल संख्या
1.	यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से– **75 हजार रूपये**	1 वर्ष	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 70 % अंक	**200** SC - 35 ST - 25 OBC - 45 MBC - 10 EWS - 20 OTHERS - 65
		अन्य संस्थानों के माध्यम से – **50 हजार रूपये**	1 वर्ष	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 60 % अंक	
2.	आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से – **50 हजार रूपये**	1 वर्ष	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 65 % अंक	**500** SC - 80 ST - 60 OBC - 105 MBC - 25 EWS - 50 OTHERS - 180
		अन्य संस्थानों के माध्यम से – **40 हजार रूपये**	1 वर्ष	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 55% अंक	

Scanned with CamScanner

क्रं.	परीक्षा	राशि	अवधि	न्यूनतम योग्यता	पात्र छात्र–छात्राओं की कुल संख्या
3.	आरपीएससी द्वारा आयोजित सबइन्स्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मेट्रिक्स में पे लेवल–10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं	20 हजार रूपये	6 माह	• स्नातक /स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एव • कक्षा 12 में 50 % अंक	800 SC - 130 ST - 100 OBC - 170 MBC - 40 EWS - 80 OTHERS - 280
4.	रीट परीक्षा	15 हजार रूपये	4 माह	• बी.एड/एसटीसी, एवं • कक्षा 12 में 50% अंक	1500 SC - 240 ST - 180 OBC - 315 MBC - 075 EWS - 150 OTHERS - 540
5.	आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसेः–पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु, पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं	10 हजार रूपये	4 माह	• स्नातक में **अध्ययनरत** /12वीं तथा RSCIT अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल/ उच्च स्तरीय कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, एवं • कक्षा 12 में 50 % अंक	1200 SC - 195 ST - 145 OBC - 255 MBC - 60 EWS - 120 OTHERS - 425
6.	कांस्टेबल परीक्षा	10 हजार रूपये	4 माह	कक्षा 10 में 50 % अंक	800 SC - 130 ST - 100 OBC - 170 MBC - 40 EWS - 80 OTHERS - 280
7.	इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से– 70 हजार रूपये प्रति वर्ष	2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)	कक्षा 10 में 70 % अंक	4000 SC - 640 ST - 480 OBC - 840 MBC - 200 EWS - 400 OTHERS - 1440
		अन्य संस्थानों के माध्यम से – 55 हजार रूपये प्रति वर्ष	2 वर्ष (कक्षा 11 एवं 12 में)	कक्षा 10 में 60 % अंक	
8.	क्लैट परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से – 40 हजार रूपये,	1 वर्ष	कक्षा 10 में 60 % अंक	1000 SC - 160 ST - 120 OBC - 210 MBC - 50 EWS - 100 OTHERS - 360
		अन्य संस्थानों के माध्यम से – 25 हजार रूपये	1 वर्ष	कक्षा 10 में 50 % अंक	

Scanned with CamScanner

नोट :– परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण उक्त तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता (12 वी अथवा 10 वी) में प्राप्त अंको के आधार पर किया जायेगा। मेरिट निर्धारण के लिए 10 वीं अथवा 12 वी की बोर्ड परीक्षा में CBSE बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रतिशत को 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा जबकि RBSE बोर्ड के 10वी/12 वीं में प्राप्त प्रतिशत को यथावत रखा जाएगा।

3. प्रतिष्ठित संस्थानों से कोंचिग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हे इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़े। यह 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि का व्यय सम्बन्धित विभाग द्वारा भी इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है यदि विभाग द्वारा ऐसी कोचिग के लिए आवास/भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही हो।

4. प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा–

(अ) यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में से कम से कम 3 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(ब) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 3 वर्षो में से कम से कम 2 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(स) इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

(द) क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले 8 वर्षों में कम से कम 5 वर्षों में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के चयन ने अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

5. ST वर्ग के छात्र–छात्राओ हेतु इस योजना का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, SC, OBC, MBC एवं EWS वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा Minority के छात्र–छात्राओं के लिए योजना का संचालन अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा।

6. इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियो से समय–समय पर आवंटित लक्ष्य अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रो की मेरिट निर्धारण कर कोंचिग की व्यवस्था चयनित संस्थानों द्वारा कराई जायेगी। इन विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों में से छात्र–छात्राओं का कोचिंग हेतु चयन करते समय यह प्रयास किए जाने होगे जिससे कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्राएं हो। इच्छुक एवं पात्र छात्राओं के आवेदन कम आने पर छात्राओं के लिए इस प्रकार निर्धारित स्थानों पर छात्रों को कोचिंग करायी जा सकेगी।

7. विभिन्न संस्थानों द्वारा कोचिंग के परिणामों का नियमित रूप से विश्लेषण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्र–छात्राओं को अच्छी से अच्छी कोचिंग उपलब्ध हो सके तथा इस पूरे प्रयास के अच्छे परिणाम आ सके।

Scanned with CamScanner

8. वर्तमान में जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा एंव तकनीकी (NEET/IIT) प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिग योजना एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित 'अनुप्रति' योजना के स्थान पर नई 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' संचालित की जाएगी।

9. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्प संख्यक मामलात विभाग द्वारा पूर्व में इन परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु चलाई जा रही योजनाओं के तहत नई कोचिंग नहीं प्रारम्भ की जाएगी तथा केवल उन छात्र–छात्राओं की कोचिंग इन पुरानी योजनाओं के तहत करायी जा सकेगी जिनमें या तो कोचिंग प्रारम्भ हो चुकी है अथवा कोचिंग प्रारम्भ करने के लिए कार्यादेश दिए जा चुके हो।

10. इस योजना के संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नोडल विभाग होगा। आवेदन प्रकिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन SINGLE PORTAL पर नोडल विभाग द्वारा प्राप्त किए जाएँगे। प्रतिष्ठित संस्थानो/अन्य संस्थानो का एमपैनलमेन्ट नोडल विभाग द्वारा पारदर्शी EOI के माध्यम से किया जाएगा। इसके समानान्तर अन्य कार्यकारी विभाग भी आवश्यकता अनुसार प्रतिष्ठित संस्थानो/अन्य संस्थानो के एमपैनलमेन्ट के लिए स्वतंत्र होगे।

(नरेश कुमार ठकराल)
विशिष्ट शासन सचिव
वित्त (व्यय) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, निजी सचिव, समस्त अति.मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/ सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

05/06/21

(अजय असवाल)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त(व्यय–2)विभाग

Scanned with CamScanner